राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी. दीवानी विविध अपील सं.3028/2018

1. भंवर लाल पुत्र लालू राम, आयु लगभग 49 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी बावरी मौहल्ला, मंगलाना, पुलिस थाना परबतसर, जिला नागौर।
2. श्रीमती फेफली पत्नी भंवर लाल, आयु लगभग 47 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी बावरी मौहल्ला, मंगलाना, पुलिस थाना परबतसर, जिला नागौर।
3. टीकू राम पुत्र भंवर लाल, आयु लगभग 22 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी बावरी मौहल्ला, मंगलाना, पुलिस थाना परबतसर, जिला नागौर।
4. दिनेश पुत्र भंवर लाल, आयु लगभग 19 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी बावरी मौहल्ला, मंगलाना, पुलिस थाना परबतसर, जिला नागौर।
5. अनिल पुत्र भंवर लाल, आयु लगभग 17 वर्ष, नाबालिग, जरिए प्राकृतिक अभिभावक। जाति मेघवाल, निवासी बावरी मौहल्ला, मंगलाना, पुलिस थाना परबतसर, जिला नागौर।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. शेरा राम बाजिया पुत्र श्री रेखा राम, जाति जाट, निवासी गांव लोरोली, तहसील मकराना, जिला नागौर। (चालक)
2. हीरा राम पुत्र श्री रेखा राम, जाति जाट, निवासी ग्राम लोरोली, तहसील मकराना, जिला नागौर। (चालक)
3. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कार्यालय पता - जय शिव चौक, स्टेशन रोड, मकराना, जिला नागौर (बीमा कंपनी)

----प्रत्युत्तरदातागण

.....

अपीलार्थी(ओं) के लिए : श्री भवानी सिंह मेड़तिया।

प्रत्युत्तरदाता(ओं) के लिए : श्री नरेंद्र कुमार जोशी।

.....

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

07/05/2025

1. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, परबतसर, जिला नागौर द्वारा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण सं.19/2014 में दिनांक 20.07.2018 को पारित निर्णय/पंचाट, जिसके तहत अधिकरण ने दावेदारों के 96,71,000/- रुपये की राशि के दावे को खारिज कर दिया था, से व्यथित होकर अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष इस अपील के माध्यम से इसे अभिखंडित करने की मांग कर रहे हैं।

2. संक्षेप में, संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलार्थियों ने 15.09.2013 को एक सड़क दुर्घटना में नंदा राम की मृत्यु के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, परबतसर (जिला नागौर) के समक्ष प्रतिकर का दावा दायर किया था। नंदा राम, कैलाश मेघवाल और तुलछी राम के साथ मोटरसाइकिल चला रहा था तब मंगलाना के पास एक तेज़ रफ़्तार ट्रक (आरजे-37-जीए-0721), जिसे अभिकथित तौर पर प्रत्युत्तरदाता सं.1 द्वारा उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था, उनसे टकरा गया। नंदा राम कुचला गया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

2.1. अपीलार्थियों ने मुआवजे के रूप में 96.71 लाख रुपये की मांग की थी। प्रत्युत्तरदाता सं.1 और 2 (चालक और स्वामि) ने प्रत्युत्तरदाता सं.3 (बीमा कंपनी) के साथ ट्रक के बीमा का हवाला देते हुए अपनी देयता से इनकार किया। बीमाकर्ता ने कवरेज स्वीकार किया लेकिन अन्य दावों को यह तर्क देते हुए खारिज कर दिया कि पॉलिसी का उल्लंघन हुआ है, जैसे कि चालक के पास वैध अनुज्ञप्ति का न होना और ट्रक के अनुज्ञापत्र का न होना। इसने

ट्रक की घटना में संलिप्तता से भी इनकार किया और आरोप लगाया कि मृतक की ही गलती थी।

2.2 अधिकरण ने पांच विवाद्यक विरचित किये और, साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात्, 20.07.2018 को दावा खारिज कर दिया, यह पाते हुए कि अपीलार्थीगण मुख्य विवाद्यकों को साबित करने में विफल रहे। इस प्रकार, अपीलार्थियों ने अब दावा याचिका खारिज किए जाने के विरुद्ध अपील की है।

3. अधिकरण ने पांच विवाद्यक विरचित किये, जिनका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है:-

"1. क्या दिनांक *15-09-2013* को वाहन ट्रक संख्या आरजे-*37*-जीए-*0721* के चालक, प्रत्युत्तरदाता सं.*1* ने वाहन को तेज गति एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित की, जिसके परिणामस्वरूप मृतक नंदाराम की मृत्यु हो गई *?*

2. क्या प्रत्युत्तदाता संख्या *1,* वाहन चालक, प्रत्युत्तदाता संख्या *2,* वाहन स्वामि के नियोजन के अधीन कार्यरत था, और क्या यह दुर्घटना उस नियोजन के दौरान हुई*?*

3. प्रत्युत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्तियों और विशेष अभिवचनों का क्या प्रभाव है*?*

4. क्या याचिकाकर्ता प्रत्युत्तरदाताओं से *96,71,000* रुपए की प्रतिकर राशि प्राप्त करने के हकदार हैं*?*

5. अनुतोष*?*

4. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए संबंधित साक्ष्यों के आधार पर, विद्वान अधिकरण ने सभी विवाद्यकों को अपीलार्थियों-दावेदारों के विरुद्ध विनिश्चित किया और दावा याचिका को खारिज कर दिया।

5. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अधिकरण ने दावे को अनुचित रूप से खारिज करके और सभी विवाद्यकों को प्रत्युत्तरदाताओं के पक्ष में विनिश्चित करके विधि और तथ्य में त्रुटि की है। अधिकरण ने एफआईआर दर्ज करने में एक दिन के विलम्ब और उसमें चालक का नाम न होने पर अनुचित बल दिया, जबकि विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी परिसाक्षी (एडब्ल्यू-2 कैलाश) और आरोप-पत्र, जिसमें स्पष्ट रूप से ट्रक चालक को संलिप्त

किया गया था, की उपेक्षा की। इसने बीमा कंपनी के इस दावे को गलत तरीके से स्वीकार कर लिया कि दुर्घटना में ट्रक स्वामि भी घायल हुआ था, और एनडब्ल्यू-1 के अविश्वसनीय परिसाक्ष्य पर भरोसा किया, जिसने उचित अन्वेषण न करने या अस्पताल के रिकॉर्ड का सत्यापन न करने की बात स्वीकार की थी।

5.1. अपीलार्थियों के अधिवक्ता यह दलील देंगे कि अधिकरण विवाद्यकों का स्वतंत्र रूप से निर्धारण करने में विफल रहा, और इसके बजाय केवल दस्तावेजों पर आधारित त्रुटिपूर्ण अन्वेषण पर भरोसा किया। एफआईआर और आरोप-पत्र में उल्लंघनकारी ट्रक की विनिर्दिष्ट रूप से पहचान की गई थी, और न्यायिक नजीर मोटर दुर्घटना दावों में साक्ष्य के कम कड़े मानक की अनुमति देती है। इसके अतिरिक्त, अधिकरण ने मृतक की आय और भावी संभावनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्यों पर ध्यान नहीं दिया, जिससे उचित प्रतिकर का अवधारण करने में विफलता मिली। यह निष्कर्ष कि ट्रक दुर्घटना में शामिल नहीं था, अनुमान पर आधारित था, न कि ठोस न्यायिक तर्क पर। इसलिए, दावे को खारिज करना विधिक और तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण था।

6. प्रत्युत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने पंचाट के पक्ष में बहस की तथा उसमें दिए गए कारणों का समर्थन किया।

7. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने विद्वान अधिवक्ताओं के प्रतिद्वंद्वी तर्क सुने हैं, जो कमोबेश अभिवचनों में दिए गए आधारों के समान ही हैं और मैंने मामले की पत्रावली का परिशीलन किया है। मैं अब इसके गुणों और अवगुणों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ूँगा और इसमें इसके पश्चात् अंतर्विष्ट चर्चा और तर्क के आधार पर अपनी राय दूंगा।

8. आक्षेपित पंचाट के संदर्भ में, इसके परिशीलन से पता चलता है कि 15-09-2013 को हुई दुर्घटना के परिणामस्वरूप नंदाराम की मृत्यु हो गई। दावेदारों ने दो गवाह प्रस्तुत किए एडब्ल्यू-1 (नंदाराम के पिता) और एडब्ल्यू-2 कैलाश (अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी)। ए.डब्ल्यू.-1 ने स्वीकार किया कि वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था और उसने इस बारे में असंगत बयान दिए कि वहाँ कौन उपस्थित था। एडब्ल्यू-2 कैलाश ने प्रत्यक्षदर्शी होने का

दावा किया, लेकिन उसने विरोधाभासी और अविश्वसनीय साक्ष्य दी, विशेष रूप से अंधेरे में ट्रक नंबर की पहचान करने के संबंध में, जबकि वह अंग्रेजी पढ़ने में असमर्थ था। एफआईआर में एक दिन का विलम्ब हुआ, जबकि अभिकथित रूप से दुर्घटना के तुरंत बाद पुलिस घटनास्थल पर उपस्थित थी।

8.1. प्रत्युत्तरदाता सं.3 ने एनएडब्ल्यू-1 आनंद सिंह को पेश किया, जिसने चिकित्सीय अभिलेख और पुलिस थाने की दैनन्दिनी प्रविष्टियाँ प्रस्तुत कीं, जिनसे पता चलता है कि ट्रक का पंजीकृत स्वामि, हीराराम, भी दुर्घटना में घायल हुआ था। साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि ट्रक स्वामि, हीराराम, दुर्घटना के समय मृतक और अन्य लोगों के साथ यात्रा कर रहा था, जो याचिकाकर्ताओं के वृत्तांत का विरोधाभासी है और बीमा का दावा करने के लिए अपने ही ट्रक को अंतर्वलित करने के संभावित मिलीभगत की ओर इशारा करता है। इसके अतिरिक्त, फर्द जप्ती और ट्रक की यांत्रिक निरीक्षण रिपोर्ट में दुर्घटना की क्षति के कोई संकेत नहीं मिले, और हीराराम की अंतर्वलितता या ट्रक की भूमिका का कोई त्वरित अनुसंधान नहीं किया गया। इसके आधार पर, अधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि दुर्घटना में संभवतः एक अज्ञात वाहन शामिल था और ट्रक सं. आरजे-37-जीए-0721 को मिथ्या आलिप्त किया गया था।

9. यह प्रकट होता है कि विद्वान अधिकरण का दावा याचिका को खारिज किया जाना मुख्यतः बीमा कम्पनी के अन्वेषणकर्ता की रिपोर्ट तथा एनएडब्ल्यू-1 की प्रतिरक्षा साक्ष्य पर आधारित था। हालाँकि, एक बीमा अन्वेषणकर्ता की रिपोर्ट निर्णायक नहीं होती। यह, अधिक से अधिक, किसी पक्षकार द्वारा (बीमाकर्ता) शुरू की गई एक निजी जांच मात्र है, जिसका परिणाम में वित्तीय हित निहित है। अधिकरण को ऐसी रिपोर्ट को अंतिम सत्य के रूप में नहीं मानना चाहिए था। जब तक निष्पक्ष साक्ष्य द्वारा इसे संपुष्ट नहीं किया जाता, तब तक इसमें स्वतंत्र प्रमाणिक मूल्य का अभाव रहता है।

अधिकरण को साक्ष्य की विश्वसनीयता का स्वतंत्र रूप से निर्धारण करना चाहिए था, न कि केवल निजी निष्कर्षों को स्वीकार करना चाहिए, विशेष रूप से मोटर वाहन अधिनियम जैसे

कल्याणकारी कानून में, जहाँ संदेह का लाभ पीड़ितों के पक्ष में होना चाहिए। पुलिस अन्वेषण के पश्चात् एफआईआर और आरोप पत्र दायर किए गए, जिसमें ट्रक आरजे-37-जीए-0721 और उसके चालक को आईपीसी के सुसंगत उपबंधों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से आलिप्त किया गया था। सक्षम पुलिस प्राधिकारी द्वारा गहन अन्वेषण के पश्चात् दायर किया गया आरोप पत्र, निजी रिपोर्ट की तुलना में अधिक साक्ष्यिक मूल्य रखता है। इस प्रकार अधिकरण यह सामंजस्य स्थापित करने या विश्लेषण करने में भी विफल रहा कि किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत निजी वृत्तांत के पक्ष में आधिकारिक अन्वेषण (जो अभियोजन में परिणत हुआ) की अवज्ञा क्यों की जानी चाहिए।

9.1. इसके अलावा, एक घायल प्रत्यक्षदर्शी, कैलाश ने ट्रक आरजे-37-जीए-0721 की उपस्थिति और अंतर्वलितता का शपथ पर साक्ष्य दिया। विद्वान अधिकरण ने उनके परिसाक्ष्य को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया कि वह अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते था और दुर्घटना के समय अंधेरा था। प्रत्यक्षदर्शी की विश्वसनीयता को केवल इसलिए कम नहीं आंका जाना चाहिए क्योंकि वह वाहन के नंबर पढ़ने में असमर्थ है-विशेष रूप से जहाँ अन्य परिस्थितिजन्य तथ्य उसके वृतांत का समर्थन करते हों। घटनास्थल पर उसकी क्षति और उपस्थिति की संपुष्टि चिकित्सीय अभिलेख और पुलिस दस्तावेज़ों से हुई थी।

10. इसके अलावा, विद्वान अधिकरण ने एफआईआर दर्ज करने में हुए एक दिन के विलंब को भी त्रुटिपूर्ण रूप से एक कमजोरी के रूप में मान लिया। दर्दनाक और घातक दुर्घटनाओं में थोड़ा सा विलंब स्वाभाविक है। महत्व यह रखता है कि क्या एफआईआर एक युक्तियुक्त समय के भीतर दर्ज की गई थी एवं क्या विलंब को स्पष्ट किया गया था। हस्तगत मामले में यह स्पष्ट किया गया था कि पुलिस पहले से ही घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। चाहे जो भी हो, विलंब से एफआईआर मिथ्या नहीं हो गई।

11. इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकरण ने एक मौलिक त्रुटि की है, अर्थात उसने पुलिस अन्वेषण के निष्कर्षों, विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी के परिसाक्ष्य और मोटर वाहन अधिनियम के मूल उद्देश्य पर ध्यान नहीं देते हुए बीमाकर्ता की स्वहितैषी जांच को अनुचित

महत्व दिया। अभिलेख पर की साक्ष्य से, ऐसा प्रतीत होता है कि उल्लंघनकारी वाहन एक ट्रक था जिसके नम्बर आरजे-37-जीए-0721 थे।

12. इस प्रक्रम पर, बहस के दौरान, जब प्रत्युत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता से उपर्युक्त टिप्पणियों के संबंध में, बीमा अन्वेषणकर्ता की स्व-हितैषी रिपोर्ट के अलावा अन्य साक्ष्यों पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक प्रश्न किया गया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि मामले को उक्त वाहन की अंतर्वलितता न होने के आधार पर खारिज करने के बजाय, याचिका के गुणावगुण पर न्यायनिर्णयन के लिए वापस अधिकरण को प्रतिप्रेषित किया जाए।

13. इस पृष्ठभूमि में, अपील अनुज्ञात की जाती है। आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है। दावा याचिका को उसके मूल नंबर पर प्रत्यावर्तित किया जाता है और विद्वान अधिकरण को यह निर्देश दिया जाता है कि वह ट्रक संख्या आरजे-37-जीए-0721 के स्वामि/चालक और बीमाकर्ता के विरुद्ध विधि के अनुसार गुणावगुण के आधार पर कार्यवाही करे।

14. लंबित आदेवन, यदि कोई हो, निस्तारित किया जाता है।

(अरुण मोंगा) ,जे

160-धनंजयएस/ आरमाथुर /-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है: हाँ / नहीं

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी